

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित नदी खो, कुंभीचौड़ में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14.10.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान राजकीय इण्टर कॉलेज, कुंभीचौड़, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी खो, कुंभीचौड़ में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना-2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना-1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 19.08.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, श्री बी0एस0 चलाल की अध्यक्षता में राजकीय इण्टर कॉलेज, कुंभीचौड़, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा खो नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर-2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व टाईम्स आफ इण्डिया के दिनांक 26.08.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। अपिहार्य कारणों से दिनांक 27.09.2014 को होने वाली जन लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 14.10.2014 की गयी, जिसकी विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व टाईम्स आफ इण्डिया के दिनांक 02.10.2014 के अंक में पुनः प्रकाशित की गयी, जिसमें विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप

टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बी०एस० चलाल, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै० गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 66.225 है० है। जो कि ग्राम गाड़ीघाट, काशीरामपुर, रतनपुर, ग्रास्टनगंज एवं कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय-समय पर वायु गुणवत्ता का

अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू० 6.11 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी खो, कुंभीचौड़ में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण सार रूप में निम्नानुसार है—

1. श्री दीपक पांडे, निवासी ग्राम कुंभीचौड़ द्वारा कहा गया कि खनन होना आवश्यक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि खनन के बिना रोजगार नहीं होगा तथा भवन निर्माण जैसे कार्य नहीं किये जा सकते हैं। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य नदी के बीचोंबीच किया जाना चाहिए, जिससे नदी का बहाव बीच में होगा, जिससे कृषि भूमि एवं तदबन्धों का कटाव तथा नदी में जगह-जगह गड्ढे नहीं होंगे। खनन होने से सरकार को राजस्व मिलेगा तथा ग्रामवासियों को भी रोजगार मिलेगा। उनके द्वारा खनन का समर्थन किया गया।
2. श्री दीवान चन्द्र प्रजापति, निवासी ग्राम गाड़ीघाट द्वारा खनन हेतु आयोजित लोकसनुवाई से प्रसन्ता व्यक्त की गयी और कहा गया उनके द्वारा बैंको से लोन आदि लेकर ट्रैक्टर/ट्रॉली आदि ली गयी हैं। यदि खनन कार्य नहीं होने से बहुत नुकसान उठाने पड़ रहे हैं एवं क्षेत्रवासी बरोजगार हो रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र के लोग मात्र खनन पर ही निर्भर हैं। समस्त क्षेत्रवासियों की पूर्ण सहमति है कि नदियों में खनन शीघ्र ही खुलना चाहिए।
3. श्री सूरजपाल प्रजापति, निवासी ग्राम गाड़ीघाट द्वारा कहा गया कि यह खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में खनन हेतु नदी खुलने जा रही हैं। इससे क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा तथा रात में चोरी छुपे अवैध खनन पर रोक लगेगी। इसलिये खनन जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए।
4. श्री नरेश कुमार मित्तल, निवासी ग्राम गाड़ीघाट द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि खनन खुलने से आम जनता को रोजगार मिलेगा एवं खनन सामग्री अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होगी। जन हित के लिये रेत, बजरी, पत्थर बहुत आवश्यक है। नदी में खनन बन्द होने से खनिज सामग्री बाहरी क्षेत्र से मंगाने पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन वैज्ञानिक विधि से किया जाये एवं मशीनों का प्रयोग न किया जाये। समस्त ग्रामवासी खनन से ही जुड़े हैं इसलिये खनन जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए।

5. श्री महेन्द्र प्रजापति, निवासी ग्राम गाड़ीघाट द्वारा कहा गया कि पूर्व में शासन-प्रशासन से खनन खोलने हेतु निवेदन किया गया था और उनके द्वारा दिलासा दिया गया था कि जल्द ही खनन खुलेगा, किन्तु वर्तमान तक नदियां नहीं खुली हैं। उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्रवासियों को ही खनन माफिया समझा जाता है। हम सब से रेवन्यू लिया जाये। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन का ठेका हमारी ग्रामसभा को मिले।
6. श्री नीरज बहुगुणा, निवासी ग्राम रतनपुर द्वारा कहा गया कि खो नदी में खनन गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाये एवं उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन से प्राप्त होने वाले लाभांश का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र की ग्राम सभा के विकास के लिये मिलना चाहिए।
7. श्री विपुल बलूनी (ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम ग्रास्टनगंज द्वारा खनन हेतु नदी खुलने में प्रसन्नता एवं समर्थन व्यक्त किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक-

1. फोटो - 03 सैट
2. डी0वी0डी0 - 03 सैट
3. उपस्थिति पंजिका - 03 सैट



(डा0 अजीत सिंह)  
सहा0वैज्ञा0अधिकारी



(बी0एस0 चलाल)  
अपर जिलाधिकारी  
पौड़ी गढ़वाल

नवी सेवा, कुम्भाचौड़ कोटडार, पोस्ट गढ़वाल में चुगान/ खानन डेड डिनोड 14/10/2014, समय 11.00 बजे तक स्थान राजकीय इन्टर कॉलेज, कुम्भाचौड़, कोटडार, पोस्ट गढ़वाल में आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होने वाले जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजीकृत

क्र.सं.	नाम एवं पद	पता	सम्पर्क क्रम	हस्ताक्षर
1.	वीरेश्वर-चलवा (Admin)	पोस्ट गढ़वाल	9632722201	
2.	गोपाल राम निवाला	SVM कोटडार	9412197403	
3.	SB अनील सिंह (सहसंचालक/प्रबन्धक)	उपकरण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	8987023466	
4.	संजय कुमार (डी.डी.ओ)		9675048292	
5.	अश्विन क जी वास्तव	GRC Indrapur NADA.	8800607949	Admin
6.	अमित राव			
7.	महेश जालप्रजापति	आर.डी.ओ. कोटडार	9832893552	अमित
8.	पिंशी लाल		8923034872	K.सं
9.	Surendra Singh रजत	Saneh	9690571050	Surendra
10.	विजय पात्र	गोडी हाट	8864879918	
11.	दीवान चंद	गोडी हाट	8923000218	
12.	सुरेश	गोडी हाट	9837511521	दीवान चंद
13.	उमेश	गोडी हाट	9987113534	अमित

